

संख्या : 477/59-2-2014-140(खा)/2007

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

न्यायालय बुन्देलखण्ड  
अधरी संख्या 551  
दिनांक 04-8-14

व०सं०मु०का०/प्रशिक्षण

04.08.14  
3.6.8

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टी0एस0पी0) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-138/खा0ग्रा0बो0/बजट/प्रशिक्षण-अनु0/2014-15 दिनांक 23 जून, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 0.75 लाख (रू0 पछत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

शीर्षक (प्रशिक्षण)

व०सं०मु०का०/अधि०

689  
31/08.2014

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एण्ड आडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार प्रमाण पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाईड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय/उपयोग प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-05-कौशल सुधार प्रशिक्षण -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय झाप संख्या-बी-1-795/दस-2013-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( निर्मला श्रीवास्तव )

अनु सचिव

संख्या : 477 (1)/59-2-2014 तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, समाज कल्याण विभाग।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- (5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (6) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
- (8) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (9) वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (10) एन०आई०सी०/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

N Sw  
( निर्मला श्रीवास्तव )

अनुसचिव

By श्रीवास्तव